अनुसूची 14 – फारम सं0 563

| आदेश का क्रम ख्या और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ। |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |

1

## न्यायालय उपायुक्त, रॉची

अधिग्रहण वाद सं० 26 आर० 28/2022–23

07
22.07.2023

राज्य

बनाम

अमीत कुमार, पिता–रामवृत साहु, निवासी – ग्राम लोधमा (कर्रा), जिला–खूँटी ........... विपक्षी

आदेश

प्रस्तुत वाद की कार्रवाई पुलिस अधीक्षक नगर, राँची द्वारा पत्रांक 6904/अप०शा० (ग्रा०) दिनांक 14.10.2022 के माध्यम से धुर्वा (तुपुदाना) थाना कांड सं0–168/22. दिनांक 05.07.2022 धारा–414 भा०द०वि० एवं Mines and Minerals Development & Regulation Act, 1957 and Section 4/21 of Jharkhand Minor Mineral Concession Rule 2004 and Section 4/12/48 and 54 Jharkhand Minerals Transportation and Storage Rules, 2017 में जप्त हाईवा ट्रक वाहन संख्या – JHO1-EN-3117 को राजसात की कार्रवाई करने के अनुशंसा के आधार पर आरम्भ किया गया है।

प्राप्त प्रतिवेदनानुसार जिला खनन कार्यालय रॉची के खान निरीक्षक विश्वनाथ उराँव पिता स्व० भीखा उराँव ग्राम उचरी पोस्ट नगड़ा थाना मांडर, जिला राँची के द्वारा थाना प्रभारी, तुपुदाना ओ० पी०, रांची के पत्र दिनांक 04.07.2022 के आलोक में दिनांक 05.07.2022 को समय 02:30 बजे अपराहन मे किये जॉच के दौरान उक्त वाहन मे 700 घनफीट बालू लोड पाया गया। एन०जी०टी० के द्वारा पारित आदेश के अनुसार 10 जून से 15 अक्टूबर पर नदी से बालू का उठाव पर रोक लगाई गई है। इस प्रकार स्थानीय चालक एवं वाहन मालिक एवं संलिप्त व्यक्तियों के द्वारा बाल उठाव, परिवहन एवं व्यवसाय करना अवैध है।

अनुसूची 14 – फारम सं0

| आदेश का क्रम संख्या और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की कारवाई के बारे टिप्पणी, तारीख के साथ। |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |



उपरोक्त अवैध बालु के उठाव एवं परिवहन करने के कारण जिला खनन कार्यालय रॉची के खान निरीक्षक विश्वनाथ उराँव के लिखित अभ्यावेदन पर धुर्वा (तुपुदाना) थाना कांड सं0–168/22 दिनांक 05.07.2022 धारा–414 भा०द०वि० एवं Mines and Minerals Development & Regulation Act, 1957 and Section 4/21 of Jharkhand Minor Mineral Concession Rule 2004 and Section 4/12/48 and 54 Jharkhand Minerals Transportation and Storage Rules, 2017 तथा उपरोक्त हाईवा ट्रक वाहन संख्या –JHO1EN-3117 को विधिवत जप्त किया गया।

विपक्षी द्वारा समर्पित कारण पृच्छा के अनुसार –प्रस्तुत वाद की कार्रवाई संधारणीय नही है। धुर्वा (तुपुदाना) थाना कांड सं0–168/22 सक्षम प्राधिकार द्वारा दर्ज नही किया गया है तथा उपरोक्त वाहन सं० JHO1-EN-3117 को नियम II (iv) Jharkhand Minerals Transportation and Storage Rules, 2017 मे निहित प्रावधान के अन्तर्गत विधिवत जप्त नही किया गया है। जप्ती सूची की प्रति वाहन मालिक को नही दिया गया था तथा उसमे वाहन को जप्त करने का स्थान वर्णित नही है। उपरोक्त धुर्वा (तुपुदाना) थाना कांड सं0–168/22 वर्त्तमान मे परिक्षण हेतु लंबित है तथा प्रार्थी द्वारा परीक्षण (Trial) समाप्त होने के पूर्व ही उक्त वाहन को राजसात का प्रस्ताव समर्पित किया है। उपरोक्त वाहन खुले आसमान के नीचे पड़ी हुई है तथा उसके क्षतिग्रस्त होने की पूरी संभवना है। वाहन चालक द्वारा बिना विपक्षी के जानकारी के उक्त वाहन पर कथित तौर पर बालु का परिवहन किया गया है। विपक्षी का उक्त परिवहन मे संलिप्ता नही है। अतः जप्त वाहन को मुक्त किया जाय।

उभय पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुना। अभिलेख के समग्र अवलोकन से विदित होता है कि विपक्षी द्वारा वाहनो मे लदे बालु के वैधनिकता के संदर्भ मे न तो कोई प्रमाणिक साक्ष्य न ही तथ्यात्मक कागजात प्रस्तुत किये गये है। एन०जी०टी० के द्वारा पारित आदेश के अनुसार 10 जून से 15 अक्टूबर पर नदी से बालू का उठाव पर रोक लगाई गई है, अतः उपरोक्त तथ्यों से यह प्रमाणित होता है कि

| ादेश का क्रम ख्या और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ। |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |



विपक्षी द्वारा अपने उक्त वाहनों मे बालु का अवैध परिचलन किया जा रहा था।

अतः धुर्वा (तुपुदाना) थाना कांड सं0–168/22. दिनांक 05.07. 2022 में जप्त हाईवा ट्रक वाहन संख्या – JHO1EN-3117 को राजसात किया जाता है।

इस आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक, नगर, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित करे।

उपायुक्त
रॉची

लेखापित एवं संशोधित

उपायुक्त
रॉची

Digitally signed by RAHUL KUMAR SINHA
Date: 2023.07.28 08:36:03 +05:30
Location: 2001:0:348b:fb58:2c39:30b9:62dc:fc76